<u>कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गाजीपुर।</u>

पत्रसंख्या- सो0मी0- स0कार्य/2022 **दिनांक 14/08/2025**

सेवा में,

पुलिस उपाधीक्षक/स्टॉफ ऑफिसर
अपर पुलिस महानिदेशक,
वाराणसी जोन, वाराणसी, उ0प्र0।

कृपया पत्र संख्याः41/छः-पु-3/2020,दिनांकः04/06/2020 का (छायाप्रति संलग्न) के परिपेक्ष्य में आप अपने पत्र संख्या सोशल मीडिया-(18/2020 का अवलोकन करें, जो पुलिस विभाग एवं उसकी अन्य इकाईयों द्वारा किये जाने वाले सराहनीय कार्यों एं विशिष्ट उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार किये जाने विषयक है।

कृपया

उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि जनपद गाजीपुर के पुलिस कर्मियों द्वारा उत्कृष्ट/सराहनीय कार्य के संबंध में **दिनांक 13.08.2025** की संबंधित सूचना निम्नवत् है-

<u>01. थाना दिलदारनगर पुलिस टीम द्वारा 02 नफर वारण्टी को किया गया गिरफ्तार।</u>

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 13.08.2025 को उ0नि0 संतोष कुमार पाण्डेय मय हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर फौ0मु0 14022/24 धारा 323,504,506,452 भा0द0वि0 से सम्बन्धित 02 नफर वारन्टी 1.प्रदुम्मन यादव पुत्र परदेशी यादव 2. प्रिस यादव पुत्र परदेशी यादव को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तारशुदा वारन्टीगण का नाम व पता–</u>

1.प्रदुम्मन यादव पुत्र परदेशी यादव निवासी फत्तेहपुर वार्ड न0-10 थाना दिलदारनगर जनपद गाजीपुर

2. प्रिस यादव पुत्र परदेशी यादव निवसी फत्तेहपुर वार्ड न0-10 थाना दिलदारनगर जनपद गाजीपुर

<u>अपराधिक इतिहास-</u>

फौ0मु0 14022/24 धारा 323,504,506,452 भा0द0वि0 अवधेश वनाम अमित थाना दिलदारनगर गाजीपुर

<u>02. "श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान "OPERATION CONVICTION" के अन्तर्गत मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा लगातार प्रभावी पैरवी कर पॉक्सो एक्ट व एससी/एसटी एक्ट के अभियुक्त को आजीवन कारावास व 50,000/-रू अर्थदण्ड की मा0 न्यायालय द्वारा दिलाई गई सजा।</u>

दिनांक 13.08.2025 को मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन के प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप थाना भुड़कुडा जनपद गाजीपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 160/2022 धारा – 363, 366, 376 भादवि व 5/6 पॉक्सो एक्ट व 3(2)(5)

एससी/एसटी एक्ट से सम्बन्धित प्रकरण में मा0 न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध करते हुए अभियुक्त इमरान पुत्र मुमताज निवासी मरदानपुर थाना भुड़कुड़ा जनपद गाजीपुर को धारा 5/6 पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष का कठोर कारावास व 15,000/-रू के अर्थदण्ड़ तथा धारा 363 भादवि में 05 वर्ष का कारावास व 5,000/- रू0 अर्थदण्ड, धारा 366 भादवि में 07 वर्ष का कारावास व 10,000/-रू0 का अर्थदण्ड तथा 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट में आजीवन कारावास व 20,000/-रू0 अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया।

3. "श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान "OPERATION CONVICTION" के अन्तर्गत मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा लगातार प्रभावी पैरवी कर दहेज हत्या के मुकदमे के अभियुक्त को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 13,000/-रू0 अर्थदण्ड की मा0 न्यायालय द्वारा दिलाई गई सजा।

दिनांक 13.08.2025 को मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन के प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप थाना नोनहरा जनपद गाजीपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 14/23 धारा 498(ए), 304(बी), 328 भादवि व ¾ डी0पी0 एक्ट से सम्बन्धित प्रकरण में मा0 न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध करते हुए अभियुक्त बृजेश चौधरी पुत्र सत्यदेव चौधरी ग्राम चक फरीद थाना नोनहरा को धारा 304(बी) भादवि में 10 वर्ष के सश्रम कारावास, धारा 328 भादवि में 05 वर्ष के सश्रम कारावास व 5,000/-रू0 अर्थदण्ड़, धारा 498(ए) में 02 वर्ष का सश्रम कारावास व 3,000/-रू0 का अर्थदण्ड़ एवं धारा ¾ डी0पी0 एक्ट में 01 वर्ष का सश्रम कारावास व 5,000/-रू0 अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया।

4. थाना भांवरकोल पुलिस द्वारा 01 नफर गोतस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 04 राशि जिंदा गोवंश व एक अदद तमंचा 0.315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 0.315 बोर बरामद ।

अपराध एंव अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 13.08.2025 को थानाध्यक्ष भांवरकोल संतोष कुमार व उ0नि0 दयाशंकर सिंह मय हमराह द्वारा चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/संदिग्ध वाहन के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर पलिया सेमरिया खडंजा मोड़ वहद् ग्राम बीरपुर से 01 नफर अभियुक्त भुवाल यादव पुत्र स्व० शिवमुनि यादव निवासी ग्राम वीरपुर थाना भांवरकोल जनपद गाजीपुर उम्र करीब 28 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के पास से एक अदद पिकअप रजिस्ट्रेशन नं0-UP 61 BT 4596 चार अदद गोवंश एक अदद तमंचा 0.315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 0.315 बोर, 04 अदद रस्सी बरामद किया गया। उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 177/25 धारा 3/5ए/5बी/8 गोहत्या निवारण अधिनियम व 3/25 आर्म्स का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का नाम व पता -

01. भुवाल यादव पुत्र स्व० शिवमुनि यादव नि० ग्राम वीरपुर थाना भावरकोल जनपद गाजीपुर उम्र करीब 28 वर्ष

आपराधिक इतिहास -

01. मु0अ0सं0 177/25 धारा 3/5ए/5 बी/8 गोहत्या निवारण अधिनियम व 3/25 आर्म्स थाना भांवरकोल गाजीपुर
02. मु0अ0सं0 32/24 धारा 3/25 आर्म्स थाना भांवरकोल जनपद गाजीपुर

03. मु0अ0सं0 130/23 धारा 3/25 आर्म्स थाना भांवरकोल जनपद गाजीपुर
बरामदगी का विवरण -
1. 04 अदद गोवंश व 04 अदद रस्सी
2. 01 अदद तमंचा 0.315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 0.315 बोर

पुलिस अधीक्षक
गाजीपुर